

शिक्षा मंत्रालय  
मांग संख्या 25  
उच्चतर शिक्षा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	34831.64	2104.99	36936.63	52078.45	2227.00	54305.45	50171.00	229.00	50400.00	65325.15	25.50	65350.65
<b>वसूलियां</b>	-20.26	...	-20.26	-14838.93	...	14838.93	-17500.00	...	17500.00	-27000.00	...	27000.00
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	34811.38	2104.99	36916.37	37239.52	2227.00	39466.52	32671.00	229.00	32900.00	38325.15	25.50	38350.65
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	100.25	3.35	103.60	120.77	15.00	135.77	124.39	15.00	139.39	130.00	10.00	140.00
2. हिन्दी निदेशालय	20.58	...	20.58	47.51	...	47.51	22.51	...	22.51	30.00	...	30.00
3. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी)	9.91	...	9.91	12.54	...	12.54	16.40	...	16.40	12.00	...	12.00
4. केन्द्रीय भारतीय भाषाएं संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	29.24	1.64	30.88	42.88	12.00	54.88	42.88	14.00	56.88	43.38	14.50	57.88
5. विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थान	3.85	...	3.85	7.56	...	7.56	7.56	...	7.56	7.56	...	7.56
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>163.83</b>	<b>4.99</b>	<b>168.82</b>	<b>231.26</b>	<b>27.00</b>	<b>258.26</b>	<b>213.74</b>	<b>29.00</b>	<b>242.74</b>	<b>222.94</b>	<b>24.50</b>	<b>247.44</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>उच्चतर शिक्षा</b>												
6. राष्ट्रीय खेलकूद एवं बैलनेस पहल	...	...	...	5.00	...	5.00	...	...	...	1.00	...	1.00
7. सामाजिक दायित्वों के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय पहल	...	...	...	5.00	...	5.00	...	...	...	1.00	...	1.00
8. राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर्स	0.57	...	0.57	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30
9. केन्द्रीय हिमालयी अध्ययन विश्वविद्यालय (सीयूएचएस) सहित बहु-विषयक शोध विश्वविद्यालयों की स्थापना, उत्कृष्टता केन्द्रों, मानविकी में राष्ट्रीयता उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन	...	...	...	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
10. उच्चतर शिक्षा निधियन अभिकरण (एचईएफए)	...	2100.00	2100.00	...	2200.00	2200.00	...	200.00	200.00	...	1.00	1.00
<b>11. विश्व स्तरीय संस्थान</b>												
11.01 सकल बजटीय सहायता (जीवीएस) से मदद	224.10	...	224.10	400.00	...	400.00	1001.39	...	1001.39	1710.00	...	1710.00
11.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	...	...	...
11.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- विश्व स्तरीय संस्थान	224.10	...	224.10	500.00	...	500.00	1101.39	...	1101.39	1710.00	...	1710.00
12. प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास	3.25	...	3.25	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
13. भारतीय ज्ञान प्रणाली	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
<b>जोड़-उच्चतर शिक्षा</b>	<b>227.92</b>	<b>2100.00</b>	<b>2327.92</b>	<b>531.40</b>	<b>2200.00</b>	<b>2731.40</b>	<b>1122.79</b>	<b>200.00</b>	<b>1322.79</b>	<b>1743.40</b>	<b>1.00</b>	<b>1744.40</b>
<b>छात्र वित्तीय सहायता</b>												
14. गारंटी निधि के लिए ब्याज सहायता तथा अंशदान												
14.01 ब्याज सस्मिडी की सहायता और गारंटी निधियों के लिए अंशदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1900.00	...	1900.00
14.02 सकल बजटीय सहायता से मदद	42.00	...	42.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14.03 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	1632.90	...	1632.90	1900.00	...	1900.00	700.00	...	700.00	...	...	...
जोड़- गारंटी निधि के लिए ब्याज सहायता तथा अंशदान	1674.90	...	1674.90	1900.00	...	1900.00	700.00	...	700.00	1900.00	...	1900.00
15. कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति												
15.01 महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति हेतु सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	207.32	...	207.32
15.02 सकल बजटीय सहायता से मदद	8.76	...	8.76	10.25	...	10.25	10.25	...	10.25	...	...	...
15.03 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	360.03	...	360.03	130.75	...	130.75	197.07	...	197.07	...	...	...
जोड़- कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	368.79	...	368.79	141.00	...	141.00	207.32	...	207.32	207.32	...	207.32
16. जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना	...	...	...	225.00	...	225.00	225.00	...	225.00	225.00	...	225.00
17. पीएम शोध अध्येतावृत्ति	26.26	...	26.26	50.00	...	50.00	75.89	...	75.89	150.00	...	150.00
<b>जोड़-छात्र वित्तीय सहायता</b>	<b>2069.95</b>	<b>...</b>	<b>2069.95</b>	<b>2316.00</b>	<b>...</b>	<b>2316.00</b>	<b>1208.21</b>	<b>...</b>	<b>1208.21</b>	<b>2482.32</b>	<b>...</b>	<b>2482.32</b>
<b>डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग</b>												
18. आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	104.40	...	104.40	85.00	...	85.00	48.05	...	48.05	150.00	...	150.00
19. आभासी कक्षाओं और व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) तैयार करना	98.62	...	98.62	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	200.00	...	200.00
20. ई-शोध सिंधु	227.66	...	227.66	242.00	...	242.00	154.61	...	154.61	154.61	...	154.61
21. उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस)	11.30	...	11.30	20.00	...	20.00	14.00	...	14.00	20.00	...	20.00
22. राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय	15.60	...	15.60	12.40	...	12.40	8.72	...	8.72	20.00	...	20.00
23. राष्ट्रीय अकादमिक डिपोजिटरी	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...	1.00	...	1.00
24. पीएम ई-विद्या	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
25. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी)	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00	50.00	...	50.00
<b>जोड़-डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग</b>	<b>457.58</b>	<b>...</b>	<b>457.58</b>	<b>444.40</b>	<b>...</b>	<b>444.40</b>	<b>305.38</b>	<b>...</b>	<b>305.38</b>	<b>645.61</b>	<b>...</b>	<b>645.61</b>
<b>अनुसंधान और नवोन्मेष</b>												
26. अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान	9.09	...	9.09	...	...	...	8.00	...	8.00	...	...	...
27. राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल	14.00	...	14.00	35.00	...	35.00	16.00	...	16.00	35.00	...	35.00
28. उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल	43.87	...	43.87	100.00	...	100.00	167.50	...	167.50	100.00	...	100.00
29. उन्नत भारत अभियान	11.17	...	11.17	32.40	...	32.40	7.44	...	7.44	7.40	...	7.40

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
30. इंफ्रिट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन (अनुसंधान नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव)	47.20	...	47.20	50.00	...	50.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
31. समाज विज्ञान में प्रभावपूर्ण नीति शोध (इंफ्रेस)	18.75	...	18.75	...	...	...	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
32. शैक्षिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पाक)	80.00	...	80.00	40.00	...	40.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
33. विज्ञान में परिवर्तनकारी एवं उन्नत अनुसंधान योजना (स्टार्स)	33.00	...	33.00	50.00	...	50.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
34. तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार-ईएपी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
<b>जोड़-अनुसंधान और नवोन्मेष</b>	<b>257.08</b>	<b>...</b>	<b>257.08</b>	<b>307.40</b>	<b>...</b>	<b>307.40</b>	<b>283.94</b>	<b>...</b>	<b>283.94</b>	<b>237.40</b>	<b>...</b>	<b>237.40</b>
35. पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन												
35.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	15.26	...	15.26	50.00	...	50.00	25.00	...	25.00	90.00	...	90.00
35.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	74.63	...	74.63	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन	89.89	...	89.89	50.00	...	50.00	25.00	...	25.00	90.00	...	90.00
36. राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग कार्यवाही	3.59	...	3.59	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
37. शैक्षिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (ज्ञान)	12.50	...	12.50	15.00	...	15.00	4.00	...	4.00	10.00	...	10.00
38. भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ईएपी)												
38.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	1100.00	...	1100.00	150.00	...	150.00	170.00	...	170.00	20.00	...	20.00
38.02 राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता	...	...	...	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	...	...	...
जोड़- भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ईएपी)	1100.00	...	1100.00	650.00	...	650.00	670.00	...	670.00	20.00	...	20.00
39. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम	167.05	...	167.05	175.00	...	175.00	175.00	...	175.00	500.00	...	500.00
40. भारत में अध्ययन	16.04	...	16.04	65.00	...	65.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
41. योजना, प्रशासन और वैश्विक कार्यक्रम	49.30	...	49.30	102.70	...	102.70	103.29	...	103.29	141.70	...	141.70
42. शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन तथा समावेशन कार्यक्रम (ईक्यूयूआईपी)	...	...	...	1413.00	...	1413.00	...	...	...	...	...	...
43. आसियान अध्येतावृत्ति	1.00	...	1.00	33.00	...	33.00	4.00	...	4.00	10.00	...	10.00
<b>चैंपियन सेवाएं क्षेत्र योजना</b>												
44. शिक्षा सेवाएं-उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण	...	...	...	102.00	...	102.00	100.00	...	100.00	160.00	...	160.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>4451.90</b>	<b>2100.00</b>	<b>6551.90</b>	<b>6206.90</b>	<b>2200.00</b>	<b>8406.90</b>	<b>4029.61</b>	<b>200.00</b>	<b>4229.61</b>	<b>6068.43</b>	<b>1.00</b>	<b>6069.43</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
45. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)												
45.01 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4693.20	...	4693.20
45.02 सकल बजटीय सहायता से मदद	2625.33	...	2625.33	3188.20	...	3188.20	1275.40	...	1275.40	...	...	...
45.03 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	1810.25	...	1810.25	1505.00	...	1505.00	3169.30	...	3169.30	...	...	...
जोड़- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)	4435.58	...	4435.58	4693.20	...	4693.20	4444.70	...	4444.70	4693.20	...	4693.20
46. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)												
46.01 सकल बजटीय सहायता से मदद	36.00	...	36.00	416.00	...	416.00	415.00	...	415.00	416.00	...	416.00
46.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	400.00	...	400.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)	436.00	...	436.00	416.00	...	416.00	415.00	...	415.00	416.00	...	416.00
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>4871.58</b>	...	<b>4871.58</b>	<b>5109.20</b>	...	<b>5109.20</b>	<b>4859.70</b>	...	<b>4859.70</b>	<b>5109.20</b>	...	<b>5109.20</b>
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
47. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयूएस)												
47.01 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7270.26	...	7270.26
47.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	0.89	...	0.89	64.00	...	64.00	27.00	...	27.00	53.00	...	53.00
47.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	79.55	...	79.55	748.00	...	748.00	126.00	...	126.00	320.00	...	320.00
47.04 सकल बजटीय सहायता से मदद	6573.65	...	6573.65	2298.78	...	2298.78	1998.51	...	1998.51	...	...	...
47.05 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47.06 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	1334.75	...	1334.75	4532.48	...	4532.48	6482.81	...	6482.81	...	...	...
जोड़- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयूएस)	7988.84	...	7988.84	7643.26	...	7643.26	8634.32	...	8634.32	7643.26	...	7643.26
48. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश												
48.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	...	...	...	11.55	...	11.55	4.80	...	4.80	60.35	...	60.35
48.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	3.80	...	3.80	...	...	...	...	...	...
48.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	45.00	...	45.00	...	...	...	...	...	...
जोड़- केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	...	...	...	60.35	...	60.35	4.80	...	4.80	60.35	...	60.35
49. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय												
49.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	0.63	...	0.63	8.30	...	8.30	4.00	...	4.00	53.80	...	53.80
49.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	3.50	...	3.50	...	...	...	...	...	...
49.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	42.00	...	42.00	...	...	...	...	...	...
जोड़- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय	0.63	...	0.63	53.80	...	53.80	4.00	...	4.00	53.80	...	53.80
50. केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित मानद विश्वविद्यालय	418.02	...	418.02	351.00	...	351.00	442.82	...	442.82	351.00	...	351.00
<b>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान</b>												
51. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता												
51.01 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6536.02	...	6536.02
51.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	84.88	...	84.88	605.10	...	605.10	175.91	...	175.91	450.00	...	450.00
51.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	358.14	...	358.14	749.80	...	749.80	400.63	...	400.63	550.00	...	550.00
51.04 सकल बजटीय सहायता से मदद	4424.02	...	4424.02	456.40	...	456.40	668.11	...	668.11	...	...	...
51.05 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता (एनआईएफ)	...	...	...	4000.00	...	4000.00	2000.00	...	2000.00	...	...	...
51.06 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	1498.88	...	1498.88	1370.70	...	1370.70	3370.70	...	3370.70	...	...	...
जोड़- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	6365.92	...	6365.92	7182.00	...	7182.00	6615.35	...	6615.35	7536.02	...	7536.02
52. आईआईटी हैदराबाद (ईएपी)	230.00	...	230.00	150.00	...	150.00	225.30	...	225.30	150.00	...	150.00
<b>जोड़-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान</b>	<b>6595.92</b>	...	<b>6595.92</b>	<b>7332.00</b>	...	<b>7332.00</b>	<b>6840.65</b>	...	<b>6840.65</b>	<b>7686.02</b>	...	<b>7686.02</b>
<b>भारतीय प्रबंध संस्थान</b>												
53. भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) को सहायता												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
53.01	सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	199.78	...	199.78	109.00	...	109.00	178.03	...	178.03	141.00	...	141.00
53.02	एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	1.25	...	1.25	47.00	...	47.00	6.76	...	6.76	85.00	...	85.00
53.03	एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	280.26	...	280.26	320.00	...	320.00	280.50	...	280.50	250.00	...	250.00
	<i>जोड़- भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) को सहायता</i>	<i>481.29</i>	...	<i>481.29</i>	<i>476.00</i>	...	<i>476.00</i>	<i>465.29</i>	...	<i>465.29</i>	<i>476.00</i>	...	<i>476.00</i>
54.	<i>राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता</i>												
54.01	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और आईआईईएसटी को अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3735.00	...	3735.00
54.02	एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	19.67	...	19.67	370.00	...	370.00	40.00	...	40.00	80.00	...	80.00
54.03	एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	27.50	...	27.50	305.00	...	305.00	35.00	...	35.00	120.00	...	120.00
54.04	सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	2610.40	...	2610.40	2310.00	...	2310.00	2110.00	...	2110.00	...	...	...
54.05	राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
54.06	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से सहायता	829.03	...	829.03	900.00	...	900.00	1080.12	...	1080.12	...	...	...
	<i>जोड़- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता</i>	<i>3486.60</i>	...	<i>3486.60</i>	<i>3885.00</i>	...	<i>3885.00</i>	<i>3265.12</i>	...	<i>3265.12</i>	<i>3935.00</i>	...	<i>3935.00</i>
	<b>भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)</b>												
55.	<i>भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता</i>												
55.01	सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	677.67	...	677.67	706.00	...	706.00	867.15	...	867.15	811.00	...	811.00
55.02	एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	7.23	...	7.23	40.00	...	40.00	13.74	...	13.74	30.00	...	30.00
55.03	एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	106.32	...	106.32	150.00	...	150.00	112.16	...	112.16	105.00	...	105.00
	<i>जोड़- भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता</i>	<i>791.22</i>	...	<i>791.22</i>	<i>896.00</i>	...	<i>896.00</i>	<i>993.05</i>	...	<i>993.05</i>	<i>946.00</i>	...	<i>946.00</i>
56.	<i>भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता</i>												
56.01	सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	595.49	...	595.49	589.15	...	589.15	601.00	...	601.00	618.15	...	618.15
56.02	एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	0.99	...	0.99	2.50	...	2.50	3.60	...	3.60	3.50	...	3.50
56.03	एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	<i>जोड़- भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता</i>	<i>596.48</i>	...	<i>596.48</i>	<i>591.65</i>	...	<i>591.65</i>	<i>604.60</i>	...	<i>604.60</i>	<i>621.65</i>	...	<i>621.65</i>
	<b>भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान</b>												
57.	<i>भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान/संस्थानों (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता</i>												
57.01	सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	156.41	...	156.41	187.45	...	187.45	172.16	...	172.16	217.45	...	217.45
57.02	एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	14.15	...	14.15	1.70	...	1.70	3.90	...	3.90
57.03	एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	10.90	...	10.90	24.75	...	24.75	21.54	...	21.54	5.00	...	5.00
	<i>जोड़- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान/संस्थानों (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता</i>	<i>167.31</i>	...	<i>167.31</i>	<i>226.35</i>	...	<i>226.35</i>	<i>195.40</i>	...	<i>195.40</i>	<i>226.35</i>	...	<i>226.35</i>
58.	सरकारी निजी भागीदारी प्रणाली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	161.02	...	161.02	167.00	...	167.00	144.02	...	144.02	167.00	...	167.00
	<b>जोड़-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान</b>	<b>328.33</b>	...	<b>328.33</b>	<b>393.35</b>	...	<b>393.35</b>	<b>339.42</b>	...	<b>339.42</b>	<b>393.35</b>	...	<b>393.35</b>
59.	मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान	194.76	...	194.76	254.80	...	254.80	194.95	...	194.95	256.30	...	256.30

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
60. भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान	434.64	...	434.64	433.00	...	433.00	370.73	...	370.73	433.00	...	433.00
61. भारतीय भाषा विश्वविद्यालय और अनुवाद संस्थान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
62. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान मुंबई	73.31	...	73.31	53.90	...	53.90	60.57	...	60.57	53.90	...	53.90
63. आयोजना एवं वास्तुविद विद्यालय (एसपीए)												
63.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	101.30	...	101.30	209.20	...	209.20	98.75	...	98.75	175.00	...	175.00
63.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	...	...	...	13.00	...	13.00	...	...	...	...	...	...
63.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	...	...	...	52.80	...	52.80	...	...	...	...	...	...
जोड़- आयोजना एवं वास्तुविद विद्यालय (एसपीए)	101.30	...	101.30	275.00	...	275.00	98.75	...	98.75	175.00	...	175.00
64. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर)	175.42	...	175.42	154.90	...	154.90	168.40	...	168.40	173.00	...	173.00
65. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और कानपुर	20.40	...	20.40	21.25	...	21.25	21.36	...	21.36	24.25	...	24.25
66. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इयू)	110.00	...	110.00	140.00	...	140.00	110.50	...	110.50	103.00	...	103.00
67. अन्य संस्थानों को सहायता												
67.01 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से मदद	465.36	...	465.36	460.55	...	460.55	426.94	...	426.94	463.70	...	463.70
67.02 एचईएफए ऋण के तहत ब्याज	0.40	...	0.40	9.18	...	9.18	3.55	...	3.55	6.00	...	6.00
67.03 एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी	3.59	...	3.59	7.17	...	7.17	3.62	...	3.62	10.00	...	10.00
जोड़- अन्य संस्थानों को सहायता	469.35	...	469.35	476.90	...	476.90	434.11	...	434.11	479.70	...	479.70
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>22266.51</b>	...	<b>22266.51</b>	<b>23492.16</b>	...	<b>23492.16</b>	<b>23053.44</b>	...	<b>23053.44</b>	<b>23914.58</b>	...	<b>23914.58</b>
<b>अन्य</b>												
68. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कोष को अंतरण	...	...	...	10338.93	...	10338.93	15000.00	...	15000.00	18000.00	...	18000.00
69. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	-10338.93	...	-10338.93	-15000.00	...	-15000.00	-18000.00	...	-18000.00
70. राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	...	...	...	4500.00	...	4500.00	2500.00	...	2500.00	9000.00	...	9000.00
71. राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	...	...	...	-4500.00	...	-4500.00	-2500.00	...	-2500.00	-9000.00	...	-9000.00
<b>जोड़-अन्य</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>27138.09</b>	...	<b>27138.09</b>	<b>28601.36</b>	...	<b>28601.36</b>	<b>27913.14</b>	...	<b>27913.14</b>	<b>29023.78</b>	...	<b>29023.78</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय शिक्षा मिशन</b>												
72. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)												
72.01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3000.00	...	3000.00
72.02 सकल बजटीय सहायता से मदद	140.88	...	140.88	300.00	...	300.00	166.00	...	166.00	...	...	...
72.03 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से मदद	1136.94	...	1136.94	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	1277.82	...	1277.82	300.00	...	300.00	166.00	...	166.00	3000.00	...	3000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
73. वास्तविक बसूली	-20.26	...	-20.26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>1257.56</b>	...	<b>1257.56</b>	<b>300.00</b>	...	<b>300.00</b>	<b>166.00</b>	...	<b>166.00</b>	<b>3000.00</b>	...	<b>3000.00</b>
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
74. विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार	1800.00	...	1800.00	1900.00	...	1900.00	348.51	...	348.51	10.00	...	10.00
<b>कुल जोड़</b>	<b>34811.38</b>	<b>2104.99</b>	<b>36916.37</b>	<b>37239.52</b>	<b>2227.00</b>	<b>39466.52</b>	<b>32671.00</b>	<b>229.00</b>	<b>32900.00</b>	<b>38325.15</b>	<b>25.50</b>	<b>38350.65</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. सामान्य शिक्षा	16734.03	...	16734.03	17468.80	...	17468.80	15815.51	...	15815.51	17682.18	...	17682.18
2. तकनीकी शिक्षा	14911.50	...	14911.50	14778.65	...	14778.65	13769.84	...	13769.84	14870.77	...	14870.77
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	100.19	...	100.19	120.77	...	120.77	124.39	...	124.39	130.00	...	130.00
4. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	...	2104.99	2104.99	...	2227.00	2227.00	...	229.00	229.00	...	25.50	25.50
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>31745.72</b>	<b>2104.99</b>	<b>33850.71</b>	<b>32368.22</b>	<b>2227.00</b>	<b>34595.22</b>	<b>29709.74</b>	<b>229.00</b>	<b>29938.74</b>	<b>32682.95</b>	<b>25.50</b>	<b>32708.45</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2721.30	...	2721.30	2496.17	...	2496.17	3012.20	...	3012.20
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3063.62	...	3063.62	2110.00	...	2110.00	460.09	...	460.09	2530.00	...	2530.00
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	2.04	...	2.04	40.00	...	40.00	5.00	...	5.00	100.00	...	100.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>3065.66</b>	...	<b>3065.66</b>	<b>4871.30</b>	...	<b>4871.30</b>	<b>2961.26</b>	...	<b>2961.26</b>	<b>5642.20</b>	...	<b>5642.20</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>34811.38</b>	<b>2104.99</b>	<b>36916.37</b>	<b>37239.52</b>	<b>2227.00</b>	<b>39466.52</b>	<b>32671.00</b>	<b>229.00</b>	<b>32900.00</b>	<b>38325.15</b>	<b>25.50</b>	<b>38350.65</b>

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी द्वारा जुटाया गया ईवीआर	...	...	...	...	3000.00	3000.00	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़</b>	...	...	...	...	<b>3000.00</b>	<b>3000.00</b>	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय के लिए है। प्रस्तावित बजट प्रशिक्षण तथा परामर्शी प्रभागों आदि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की खरीद, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए है जिनकी जरूरत मंत्रालय के दोनों विभागों के भीतर ई-अभिशासन के सुदृढीकरण के लिए है। यह प्रावधान शिक्षा मंत्रालय के प्रस्तावित नए भवन के लिए भी है।

2. **हिन्दी निदेशालय:** केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई स्थित इसके 4 क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 1960 में की गई थी ताकि सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार एवं विकास किया जा सके। यह द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दकोशों के प्रकाशन, पत्राचार पाठ्यक्रम और हिंदी लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने की योजनाएं चलाता है।

3. **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी):** वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना अक्टूबर, 1961 में की गई थी ताकि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार की जा सके। आयोग विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार करने की एक स्कीम चलाता है ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर अनुदेश का माध्यम भारतीय भाषाओं में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान की जा सके और यह क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय शिक्षाविदों से समन्वय करता है।

4. **केन्द्रीय भारतीय भाषाएं संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र:** केन्द्रीय भारतीय भाषाएं संस्थान अपने मुख्य परिसर मैसूर एवं सात अन्य क्षेत्रीय केन्द्र जो क्रमशः भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, मैसूर, पटियाला, पुणे एवं सोलन में स्थित हैं, की स्थापना जुलाई 1969 में की गई थी। यह भारत सरकार की भाषा नीति के कार्यान्वयन/विकास में सहायता करता है और भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भाषा विश्लेषण के क्षेत्र, भाषा शिक्षा-शास्त्र, भाषा तकनीक तथा भाषा का समाज में उपयोग के क्षेत्र में शोध करता है। यह विभिन्न भाषाओं के स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

5. **विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थान:** इसमें यूनेस्को, पेरिस में भारत के स्थाई शिष्टमंडल के प्रावधान के साथ-साथ पेरिस और न्यूयार्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास के लिए प्रावधान भी शामिल है।

6. **राष्ट्रीय खेलकूद एवं वैलनेस पहल:** इस स्कीम का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में फिटनेस तथा स्वास्थ्य के साथ-साथ सामान्य संस्थागत अपेक्षा के रूप में शारीरिक शिक्षा को शामिल करना, खेलकूद में मौजूदा भागीदारी को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक लाना, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद अवसंरचना, अंतर-विषयक शोध केन्द्र की स्थापना और खेलकूद पर सूचना नेटवर्क का सुजन करना शामिल है।

7. **सामाजिक दायित्वों के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय पहल:** सामाजिक दायित्वों के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय पहल के लिए 1.00 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

8. **राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर्स:** यह स्कीम राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर्स द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में असाधारण योगदानों के लिए मान्यता प्रदान करने के संबंध में है। इस योजना के तहत एनआरपी को शोध कार्य जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

9. **केन्द्रीय हिमालयी अध्ययन विश्वविद्यालय (सीयूएचएस) सहित बहु-विषयक शोध विश्वविद्यालयों की स्थापना, उत्कृष्टतम केन्द्रों, मानविकी में राष्ट्रीयता उत्कृष्टता केन्द्रों का सुजन:** इसमें केन्द्रीय हिमालयी अध्ययन विश्वविद्यालय सहित बहु-विषयक शोध विश्वविद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता एवं उत्कृष्टता केन्द्रों के सुजन का प्रावधान है।

10. **उच्चतर शिक्षा निधियन अभिकरण (एचईएफए):** उच्चतर शिक्षा निधियन अभिकरण, एक अलाभकारी संगठन जिसकी स्थापना बाजार से निधियों जुटाने और उसकी पूर्ति दान और कारपोरेट सामाजिक दायित्व की निधियों से करने के लिए हुई है। इन निधियों का उपयोग हमारे शीर्ष संस्थानों में अवसंरचना में सुधार लाने हेतु वित्तपोषण करने के लिए किया जाना है और इसको आंतरिक प्रोद्भवनों के माध्यम से पूरा किया जाना है।

11. **विश्व स्तरीय संस्थान:** यह प्रावधान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में दस विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना करने के लिए है, इनकी स्थापना तर्कसंगत समय में समर्थकारी विनियामक वातावरण उपलब्ध करवाते हुए की जाएगी जो उन्हें शिक्षण एवं शोध में वैश्विक उत्कृष्टता स्तर हासिल करने में सहायक होगा।

12. **प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास:** यह स्कीम शिक्षा मंत्रालय के जम्मू और कश्मीर के लिए 2015 के पीएम विकास पैकेज के लिए है। इस स्कीम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में बालिका छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।

13. **भारतीय ज्ञान प्रणाली:** यह स्कीम एनईपी की सिफारिशों पर आधारित है। प्राचीन भारत से तात्विक ज्ञान और इसका आधुनिक भारत में योगदान और इसकी सफलताओं और चुनौतियों को जहां कहीं भी संगत हो पूरे स्कूल के पाठ्यक्रम में, विशेष रूप से जनजातीय ज्ञान और स्वदेशी एवं ज्ञान अर्जन के पारंपरिक तरीकों सहित भारतीय ज्ञान प्रणालियों में सटीक और वैज्ञानिक तरीके से सम्मिलित किया जाएगा।

14. **गारंटी निधि के लिए व्याज सहायता तथा अंशदान:** वर्ष 2009-10 से केन्द्र सरकार शोध अधिस्थगन अवधि के दौरान शिक्षा ऋण पर उन छात्रों को व्याज सहायता प्रदान कर रही है जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 4.5 लाख रूपए से कम है। छात्र ऋण गारंटी कायिक निधि का सुजन क्रेडिट गारंटी न्यास प्रबंधन के अंतर्गत किया जाएगा ताकि छात्र ऋण की अदायगी में चूक के प्रति गारंटी मिल सके। इससे ऋणदाता संस्थानों को छात्रों द्वारा ऋण लौटाने में पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी, जिससे वे और अधिक छात्र ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके अतिरिक्त, सरकारी गारंटी से छात्र ऋण पर व्याज की दर भी कम होगी।

15. **कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति:** केन्द्रीय क्षेत्र की इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष स्कूलों से पास होने वाले 2 प्रतिशत छात्रों को कॉलेजों तथा विश्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विलंब रोकने के लिए छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थियों को सीधे ई-बैंकिंग के माध्यम से संबितरित की जाती है। एमयूएसके के माध्यम से ₹8.52 करोड़ को आवंटन का निधीयन किया जाएगा।

16. **जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना:** जम्मू एवं कश्मीर हेतु विशेष छात्रवृत्ति स्कीम का उद्देश्य जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं को राज्य से बाहर ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो उन्हें देश के शेष भाग के उनके समकक्षों के साथ संपर्क करने का अवसर प्रदान करेगी, जिससे वे मुख्य धारा का हिस्सा बनेंगे। हर वर्ष 5000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने की योजना है। चिकित्सा और इंजीनियरिंग स्टीम में स्थानों की अंतःपरिवर्तनीयता का प्रावधान है, यथार्थ सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों का विकल्प देने वाले छात्रों की संख्या में किसी कमी से बचत हो। छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क और अनुरक्षण भत्ते के लिए प्रदान की जाती है।

17. **पीएम शोध अध्येतावृत्ति:** इस स्कीम के अंतर्गत उत्कृष्ट छात्र जिन्होंने आईआईएससी/आईआईटी/एनआईटी/आईआईएसईआर/आईआईआईटी से बी. टेक या एकीकृत एम. टेक या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एमएससी पूरी की है या अंतिम वर्ष में है उन्हें आईआईटी/आईआईएससी में पीएचडी कार्यक्रम में सीधे दाखिला दिया जाएगा। ऐसे छात्र को, जो पात्रता मानदण्ड पूरा करते हैं और चयन प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं जैसाकि पीएमआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, प्रथम दो वर्षों के लिए प्रतिमाह 70,000 रूपये अध्येतावृत्ति दी जाएगी, तीसरे वर्ष 75,000 रूपये और चौथे तथा पांचवें वर्ष में प्रतिमाह 80,000 रूपये दिया जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में और सेमिनारों में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए उनकी विदेश यात्रा व्यय पूरा करने हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक अध्येता को 2.00 लाख रूपये का शोध अनुदान दिया जाएगा। तीन वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतम 3,000 अध्येता (प्रतिवर्ष 1000) का चयन किया जाएगा।

18. **आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन:** उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिए मैं शिक्षण और सीखने की अधिगम प्रक्रिया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (एनएमईआईटीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन आईसीटी की परिकल्पना की गई है ताकि आईसीटी की क्षमता का उपयोग किया जा सके। इसमें ई-शिक्षा के लिए उपयुक्त अध्यापन पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है, आभासी प्रयोगशालाओं, ऑन लाइन परीक्षण और प्रमाणन के माध्यम से प्रयोग करने वालों को सुविधा प्रदान की जाती है और शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने और डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल आदि की मार्गदर्शिका और शिक्षकों को ऑन-लाइन उपलब्धता के लिए शिक्षक ऑनलाइन उपलब्ध रहते हैं।

19. **आभासी कक्षाओं और व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) तैयार करना:** स्वयम और एमओओसी के तहत आभासी कक्षाएं सभी भौगोलिक क्षेत्रों में गुणवत्ता शिक्षा व्यापक रूप से प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करने में अध्ययन समर्थ प्रौद्योगिकी के नए प्रकार हैं। व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) अधिकांश प्रशिक्षुओं को गुणवत्ता युक्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सस्ता तंत्र

है। शीर्ष संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त संकाय, शीर्ष संस्थानों में उत्कृष्ट पाठ्यक्रमों को पढ़ाने लाभ के सभी संस्थाओं में उनकी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखे बिना शिक्षा को सचमुच सुचारू और निर्वाध बनाकर विद्यार्थियों और संकाय के लिए आभासी कक्षाओं और ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सहायता से प्रसारित किया जा सकता है।

20. **ई-शोध सिंधु:** यह योजना उच्चतर शिक्षा विभाग के माध्यम से देश में इलैक्ट्रॉनिक संसाधनों के सन्तुष्टि के लिए निधियन प्रदान करेगी। यह विश्वविद्यालय, कालेजों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और अन्य संस्थानों को पत्रिकाएं उपलब्ध कराएगी।

21. **उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस):** इस योजना का लक्ष्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण आवधिक शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए सरकारी सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करना है ताकि संपूर्ण देश में शिक्षा क्षेत्र के प्रदर्शन एवं क्षेत्रीय भिन्नता का आकलन एवं समीक्षा की जा सके।

22. **राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत, सिंगल विंडो सर्च सुविधा के साथ अध्ययन संसाधनों की वर्चुअल रिपोजिटरी के कार्य ढांचे को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल) पायलेट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। यह प्रवेश और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धति सीखने और तैयार करने और सीखने के लिए लोगों को समर्थ बनाने और बहुल संसाधनों से अंतसंयोजित अन्वेषण के लिए अनुसंधानकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया जा रहा है।

23. **राष्ट्रीय अकादमिक डिपोजिटरी:** यह सभी हितधारकों के लिए कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधार लाने के लिए एक पहल है। एनएडी शैक्षणिक संस्थानों/बोर्डों / पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा डिजिटल प्रारूप में दर्ज किए गए शैक्षणिक अवार्डों (डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मार्कशीट आदि) का 24x7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है। एनएडी न केवल एक अकादमिक पुरस्कार के लिए आसान पहुंच और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करता है बल्कि इसकी प्रामाणिकता और सुरक्षित भंडारण की गारंटी देता है और उसे विधिमान्य करता है।

24. **पीएम ई-विद्या:** यह नई स्क्रीम डिजीटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा तथा शिक्षा की बहुविध पहुंच को समर्थ बनाने के लिए डिजीटल उपकरणों के प्रावधान संबंधी सभी प्रयासों का एकीकरण करती है। इस स्क्रीम से विद्यार्थी और शिक्षक डिजीटल शिक्षा के प्रति बहुविध पहुंच प्राप्त कर सकेंगे।

25. **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी):** इस स्क्रीम में उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट के स्टोरेज एवं डिजीटल हेतु एक डिजीटल निक्षेपागार के विकास की परिकल्पना की गई है। क्रेडिट का एक अकादमिक बैंक स्थापित किया जाएगा जिसमें विभिन्न मान्यताप्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजीटल तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा ताकि अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षा संस्थान से डिग्री प्रदान की जा सके।

26. **अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान:** जैव प्रौद्योगिकी, जैव सूचना विज्ञान, नैनो-सामग्री, नैनो-टेक्नोलॉजीज, मेकट्रोनिक्स, उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग/औद्योगिक डिजाइन, पेशेवर / व्यावसायिक नैतिकता, और कौशल विकास सहित प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

27. **राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल:** 20 नए डिजाइन नवाचार केन्द्र, एक मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क की स्थापना और इन्हें आपस में जोड़ना। ओडीएस सहयोगी शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से अधिकतम पहुंच को सुनिश्चित करेगा। एनडीआईएन डिजाइन शिक्षा की पहुंच और विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए स्कूलों के डिजाइन का नेटवर्क होगा और देश में डिजाइन शिक्षा और नवाचार के स्तर को बढ़ाएगा।

28. **उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल:** प्रौद्योगिकी अंतरण, की राष्ट्रीय पहल की पूर्ववर्ती स्कीम अब उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल के नए रूप में शुरू की गई है। इस पहल के तहत अंतरराष्ट्रीय संयोजनों को सशक्त करने और सहयोगी और संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों हेतु अनुसंधान पार्क के कार्यवाहकों के माध्यम से उद्योग के साथ ऐसे संपर्कों को जोड़ने में अधिकांश भारतीय संस्थाओं को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किये जाएंगे।

29. **उन्नत भारत अभियान:** उन्नत भारत अभियान मिशन उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को विकास चुनौतियों की पहचान करके और धारणीय विकास को गति प्रदान करने के लिए उचित समाधान विकसित करके ग्रामीण भारत में लोगों के साथ कार्य करने में समर्थ बनाएगा। इसका लक्ष्य उभरते हुए व्यवसायों के लिए ज्ञान और पद्धतियों उपलब्ध कराकर समावेशी शैक्षणिक प्रणाली और समाज के बीच महत्वपूर्ण चक्र स्थापित करना और ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के बाबत कार्य करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टरों की क्षमताओं को बढ़ाना है।

30. **इंफ्रिट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन (अनुसंधान नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव):** यह योजना प्रमुख संस्थानों में शोध को उन क्षेत्रों में लगाने का इरादा रखती है जो देश के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकती है। इस पहल के अंतर्गत, 10 चयनित डोमेन के तहत अनुसंधान परियोजनाओं को एमएचआरडी और अन्य भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। द्वितीय चरण इंफ्रिट-II को थोड़ा संशोधित कार्यनीति के साथ शुरू किया गया है।

31. **समाज विज्ञान में प्रभावपूर्ण नीति शोध (इंप्रेस):** इंप्रेस स्क्रीम का मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक विज्ञान में नीतिसंगत अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है, और इस तरह, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में और हमारे समाज में तरक्की योगदान देना है।

32. **शैक्षिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पाकी):** अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना या स्पाकी स्क्रीम का उद्देश्य पहले चरण में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समस्याओं को संयुक्त रूप से हल करने के लिए भारतीय संस्थानों तथा चुनिंदा 28 देशों से विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को सुसाध्य बनाते हुए भारत के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की अनुसंधान स्थिति में सुधार लाना है।

33. **विज्ञान में परिवर्तनकारी एवं उन्नत अनुसंधान योजना (स्टार्स):** इस स्क्रीम का उद्देश्य धारणीय और साम्यापूर्ण भारत के लिए विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान का समेकन करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विज्ञान संकाय में अनुसंधान संस्कृति को पोषित करना, विज्ञान को स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि आदि प्रमुख सेक्टरों में देश की जरूरतों तथा मुद्दों का निराकरण करने की दिशा में अभिमुख करना और वैज्ञानिक अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क हासिल करना स्क्रीम के प्रमुख उद्देश्य है।

34. **तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार-ईएपी:** यह नई स्क्रीम है जिसका उद्देश्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्यों के साथ एकीकरण करना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों को पूरा करना है। इसे पूरे देश भर में लगभग 350 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरी संस्थानों और संबन्धन-प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना होगी। जिसके तहत आईडीए के अंतर्गत विश्वबैंक से प्राप्त विदेशी ऋण लिए जाएंगे।

35. **पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन:** इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा के समग्र सेक्टर पर व्यापक फोकस देना है। यह प्रभावशाली समन्वयन के माध्यम से शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित चल रहे कार्यक्रमों को समेकित और सशक्त करेगा। यह वर्तमान सभी पहल के बीच तालमेल विकसित करने के लिए एकीकृत मंच उपलब्ध कराएगा और शिक्षण/संकाय संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए व्यापक साधन के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यक्रम में एकल स्तर पर क्षमता को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है और यह सेवा पूर्व और सेवाकालीन स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण को महत्व देने के लिए सांस्थानिक अवसरचना को बढ़ाएगा।

36. **राष्ट्रीय सांख्यिक रैंकिंग कार्यवाही:** यह कार्यवाही देशभर में संस्थाओं को रैंक प्रदान करने की कार्यविधि दर्शाता है। यह कार्यविधि विभिन्न विश्वविद्यालय और कालेजों की रैंकिंग के लिए व्यापक पैरामीटर की पहचान करने हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित कोर समिति द्वारा व्यापक विचार-विमर्श कर और समग्र सिफारिशों के आधार पर बनाई गई है।

37. **शैक्षिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (ज्ञान):** इसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय रूप से उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों और उद्यमियों का प्रतिभा पूल बनाना और उनके भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहन देना है जिससे देश के वर्तमान शैक्षिक संसाधनों को बढ़ाया जा सके, गुणवत्ता पूर्ण सुधार की गति को बढ़ाया जा सके और वैश्विक उत्कृष्टता के लिए भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षमता को आगे बढ़ाया जा सके।

38. **भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ईएपी):** यह विश्व बैंक से निधिबद्ध परियोजना है जिसके कार्यक्रमलाप इस प्रकार है: (i) शैक्षिक उत्कृष्टता नेटवर्किंग इंजीनियरिंग संस्थान का विकास (ii) केन्द्रीय सेक्टर के तहत प्रबंधन क्षमता बढ़ाना।

39. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम:** इस योजना में स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा होल्डरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से उत्तीर्ण 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बोकेशनल छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अवसर प्रदान करती है और वीओएटी/वीओपीटी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

40. **भारत में अध्ययन:** इस पहल का उद्देश्य विश्व के शैक्षणिक पहल में अपनी स्थिति को उन्नत करते हुए, समूचे विश्व के विद्यार्थियों के लिए भारत को एक अधिमध्य शैक्षणिक केन्द्र बनाना है। इससे पूरे विश्वभर से विद्यार्थी समुदाय के लिए यह सुकर हो सकेगा कि वे भारत में आकर यहां के शीर्ष संस्थानों की सर्वोत्तम अकादमिक शिक्षा को अनुभव कर सकें जिससे विश्वभर के विद्यार्थियों की गुणवत्तायुक्त बढ़ती शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

41. **योजना, प्रशासन और वैश्विक कार्यक्रम:** इसमें वैश्विक भागीदारी प्रबंधन, फार्मसी शिक्षा और होटल प्रबंधन, अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुवीक्षण समिति, संगोष्ठियों, समिति बैठकों पर व्यय आदि, गैर सरकारी सदस्यों को टीए/डीए, शास्त्री इंडो कनाडियन इन्स्ट्र्यूट, भारत में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा प्रतिष्ठान को आयकर और सीमा-शुल्क वापस करना, यूनेस्को को अंशदान, यूनेस्को सम्मेलनों आदि में प्रतिनिधित्व और शिष्टमंडल, भारत में विदेशी शिष्टमंडल का दौरा, और समितियों/सम्मेलनों की बैठकों का आयोजन तथा यूनेस्को के लक्ष्यो और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन, एशियन प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक, अन्तरराष्ट्रीय तकनीकी सहयोग के लिए पहल शामिल है।

42. **शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन तथा समावेशन कार्यक्रम (ईक्यूयूआईपी):** यह एक नया कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा तक पहुँच, गुणवत्ता, उत्कृष्टता, अभिशासन प्रणालियों, अनुसंधान/नवाचार, नियोजनीयता, प्रत्यायन प्रक्रियाओं, शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, अंतरराष्ट्रीयकरण और वित्तपोषण जैसे मुद्दों का निराकरण करना है।

43. **आसियान अध्येतावृत्ति:** भारत और आसियान के बीच गहन और ऐतिहासिक संबंधों को मान्यता प्रदान करते हुए, इस स्कीम का उद्देश्य आसियान देशों के छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में एकीकृत पीएचडी कार्यक्रम पूरा करने के लिए 1000 तक अध्येतावृत्तियां प्रदान करना है।

44. **शिक्षा सेवाएं-उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण:** यह शिक्षा सेवाओं के क्षेत्र में चैम्पियन सेवा सेक्टर के लिए सरकार की कार्यवाही योजना का एक घटक है। इससे विभिन्न अभिज्ञात क्रियाकलापों के माध्यम से भारत की शिक्षा सेवाओं का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में सहायता मिलेगी।

45. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी):** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वयन और निर्धारण के प्रयोजन से 1956 में संसद के अधिनियम के तहत हुई थी। जबकि यूजीसी सभी पात्र विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता का प्रावधान अलग से किया जाता है।

46. **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई):** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली की स्थापना वर्ष 1945 में परामर्श निकाय के रूप में हुई थी। इसे 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया था, जो 28 मार्च, 1988 से प्रभाव में आया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मुख्य कार्य देशभर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वित विकास, तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के नियोजित गुणवत्तापरक विकास एवं विनियमन तथा उचित रखरखाव के संबंध में ऐसी शिक्षा में गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देना है।

47. **केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयूएस):** केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय है जिनकी स्थापना अनुसंधान और अनुदेशीय सुविधाएं प्रदान करते हुए, अंतर-विषयक अध्ययन उपलब्ध कराते हुए और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में नवाचार के माध्यम से ज्ञान के मुजन ओर प्रसार को ध्यान रखते हुए की गई है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने संबंधित अधिनियम और उसके तहत निर्मित संविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिशासित होते हैं।

48. **केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश:** केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के लिए आवंटन का प्रावधान है।

49. **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय:** आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालयों के लिए आवंटन का प्रावधान है।

50. **केन्द्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित मानव विश्वविद्यालय:** विश्वविद्यालय से इतर उच्चतर शिक्षा का कोई संस्थान जो अध्ययन के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अत्यधिक उच्च मानकों पर कार्यरत है, केन्द्र सरकार द्वारा (यूजीसी के परामर्श पर) मानव विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जा सकता है। जिन संस्थानों को मानव विश्व विद्यालय घोषित किया जाता है वे विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक हैसियत एवं विशेषाधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। कुछ मानव विश्वविद्यालयों का निधियन यूजीसी द्वारा किया जाता है तथा कुछ का वित्तीय प्रबंधन निजी स्रोतों से होता है।

51. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता:** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में वैश्विक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना; संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना और शिक्षा अर्जन को बढ़ावा देने एवं ज्ञान का प्रसार करने के लिए काम करना है। इन प्रमुख संस्थानों को सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

52. **आईआईटी हैदराबाद (ईएपी):** आईआईटी हैदराबाद की ईएपी परियोजनाओं के लिए आवंटन का प्रावधान है।

53. **भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) को सहायता:** भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में प्रबंधन में शैक्षिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शी के उद्देश्यों से की गई थी। ये संस्थान, स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी), अध्येतावृत्ति कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम और संगठन आधारित कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं।

54. **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता:** इसमें एनआईटी और आईआईईएसटी के लिए प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्वायत्त तकनीकी संस्थान हैं और इन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को एनआईटीएसईआर अधिनियम के अंतर्गत शामिल करके बंगाल अभियांत्रिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर नामक राज्य विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में परिवर्तित किया गया है। इस आवंटन में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने के लिए 136.10 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

55. **भारतीय विज्ञान शिक्षा एव अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता:** आईआईएसईआर भारत में एक अजूबी पहल है जहां शिक्षण और शिक्षा को आधुनिक शोध के साथ पूर्णतः एकीकृत किया गया है जो अनुसंधान के बौद्धिक रूप से जीवंत माहौल में जिज्ञासा और सृजनात्मकता दोनों को बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक आईआईएसईआर एक स्वायत्त संस्था है जो अपने स्वयं के मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री देते हैं।

56. **भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता:** भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) 1909 में स्थापित किया गया था। कालांतर में आईआईएससी भारत में उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान और शिक्षा के लिए शीर्ष संस्थान बन गया है।

57. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान/संस्थानों (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को सहायता:** यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को निधियां प्रदान करता है। केन्द्रीय रूप से वित्तपोषित और (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, कांचीपुरम और कुरनूल) में स्थित।

58. **सरकारी निजी भागीदारी प्रणाली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना:** आईटी पेशेवरों की मांग को देखते हुए, सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए हैं।

59. **मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान:** इस पहल में प्रतिभावान छात्रों को मानविकी में कार्यक्रमों के चयन को प्रोत्साहित किया जाता है और उसके शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाया जाता है। इस योजना के तहत शामिल किए गए परिषदों में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएसईआर), शिमला, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर), नई दिल्ली, राष्ट्रीय ग्रामीण परिषद संस्थान (एनसीआरआई), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली है।

60. **भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान:** इसमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान और भारतीय भाषाओं में गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पहल हेतु प्रावधान शामिल है।

61. **भारतीय भाषा विश्वविद्यालय और अनुवाद संस्थान:** इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं और मातृभाषा का संवर्धन और भारत की भाषाओं से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना है। भारतीय भाषा विश्वविद्यालय के अंतर्गत भारतीय अनुवाद और निर्वचन संस्थान होगा। नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार, इस प्रकार का संस्थान राष्ट्र तथा राष्ट्र के लिए सही मायनों में महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करेगा और भाषा और विषय के असंख्य बहुभाषी विशेषज्ञों तथा अनुवाद और निर्वचन के विशेषज्ञों को नियोजित करेगा जिससे सभी भारतीय भाषाओं के संवर्धन में मदद मिलेगी।

62. **राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान मुम्बई:** राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान मुम्बई (एनआईटीआईई), मुम्बई 1963 में अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के माध्यम से यूएनडीपी की सहायता के साथ भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। एनआईटीआईई को एक गुणवत्ता युक्त सुधार कार्यक्रम केन्द्र के रूप में मान्यता भी प्रदान की गई है।

63. **आयोजना एवं वास्तुविद विद्यालय (एसपीए):** आयोजना तथा वास्तुविद के स्कूलों को देश के तथा विश्व के ऐसे संस्थानों में अपनी कोटि के शीर्ष संस्थानों के रूप में माना जाता है जो मानव वस्तियों को उसके सभी पहलुओं में अभिकल्पित और विकसित करने में विशिष्ट शिक्षा प्रदान करता है। इस बजट लाइन में नए तथा पुराने एसपीए के लिए प्रावधान शामिल है।

64. **राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर):** यह ऐसे संस्थानों की स्थापना की एक पहल है जिनका उद्देश्य देश के डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के गुणवत्ता सुधार से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी करना है।

65. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और कानपुर:** भारत सरकार ने भारत के चार क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे चार प्रशिक्षुता बोर्ड/व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड स्थापित किये हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961, जिसे वर्ष 1973 और 1986 में संशोधित किया गया था, के प्रावधानों के अंतर्गत स्नातक/तकनीशियन/तकनीशियन (व्यवसायिक) प्रशिक्षुओं को वास्तविक कार्यशील वातावरण में नौकरी पर एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण देकर नए इंजीनियरों की क्षमता में सुधार करना है।

66. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इगू):** इगू की स्थापना जनता के सभी वर्गों, विशेषकर लाभवंचित वर्गों को उच्चतर शिक्षा के प्रति पहुंच प्रदान करने, सतत शिक्षा प्रदान करने, ज्ञान और कौशल का उन्नयन करने, महिला, पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों जैसे विशिष्ट लक्षित समूहों के लिए उच्चतर शिक्षा के विशेष कार्यक्रमों को शुरू करने और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए संसद अधिनियम के तहत 1985 में की गई थी। इगू का राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों (एसओयू) के विकास में योगदान रहा है और इगू के कार्यक्रमों को विशेष सहायता के रूप में अलग से इगू के माध्यम से राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

67. **अन्य संस्थानों को सहायता:** इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है – भारतीय विश्वविद्यालय संघ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों और स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (निएपा), अरोविले प्रबंधन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग तथा एसएलआईईटी, एनआईआरआईएसीटी, एनआईएफएफटी और सीआईटी कोकराझार और जीकेसीआईईटी मालदा सहित अन्य संस्थानों को सहायता प्रदान करना है।

72. **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा):** यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की उच्चतर एवं तकनीकी संस्थाओं को कार्यनीतिक निधियन प्रदान करना है। राज्य, व्यापक राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं को तैयार करेंगे जिसमें विस्तार, साम्यता और उत्कृष्टता के मुद्दों को एक साथ हल करने के लिए परस्पर संबद्ध कार्यनीति का प्रयोग किया जाएगा। केन्द्रीय निधियन को राज्य उच्चतर शिक्षा के शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय सुधार के साथ जोड़ा जाएगा।

74. **विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार:** इसमें विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की देयता को पूरा करने का प्रावधान किया गया है।